न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, सोजत

पीठासीन अधिकारीः— श्री विशाल दवे (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 176/2011

वादीः—
सोनाराम

बनाम प्रतिवादीगणः—
सोहनसिंह वगैरह

उपस्थितिः—

1. श्री पोकरलाल परिहार, विद्वान अभिभाषक वादी
2. श्री गिरीश नारायण भट्ट, विद्वान अभिभाषक प्रतिवादीगण

प्रार्थना—पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 14 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

—:आदेशः— दिनांक 05.06.2012

1. वादी ने प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी सोनाराम मेघवाल निवासी बोगला, तहसील मारवाड़ जंक्शन का राजस्व वाद श्रीमान् के न्यायालय में विचाराधीन है, जिससे संबन्धित राजस्व रेकर्ड, जो दिनांक 10—07—1971 को भूमि आंवटन सलाहकार समिति के परामर्श से उप खण्ड अधिकारी, सोजत द्वारा वादी सोनाराम को मौजा बोगला में भूमिहीन कृषक के रूप में जो भूमि आंवटित की गई उससे संबन्धित निम्नलिखित दस्तावेज न्याय की दृष्टि से पेश किये जा रहे है, जिनको देखकर निर्णय करने में सुविधाजनक रहेगा—

1. गत् जमाबंदी मौजा बोगला, तहसील खारची, संवत् 2027 से 2030 तक की प्रमाणित प्रतिलिपि
2. भूमि आंवटन सलाहकार समिति के परामर्श से दिनांक 10—07—1971 को कुल आंवटन 57 आंवटियों की सूचि की प्रमाणित प्रतिलिपि।
3. वादी सोनाराम को आंवटित भूमि का आंवटन पत्र (सनद) दिनांक 10—07—1971 को जारी किया गया की छाया प्रति।
4. वादी सोनाराम द्वारा सनद् शुल्क की जमा राशि रसीद संख्या 10401 दिनांक 10—07—1971 की रसीद की प्रति।
5. ट्रेस नक्शा की प्रमाणित प्रतिलिपि।
6. खसरा परिवर्तनशील मौजा बोगला, गत् तहसील खारची, संवत् 2029 की प्रमाणित प्रतिलिपि।
7. वादी सोनाराम के नाम जारी जाति प्रमाण—पत्र दिनांक 09—08—2010 द्वारा तहसीलदार, मारवाड़ जंक्शन की छाया प्रति।

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

अतः कृपया न्यायसिंह में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 14 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार फरमा कर पत्रावली के रेकर्ड पर लेने हेतु आदेश प्रदान करावें।

2. वकील प्रतिवादी ने जवाब प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी ने आवेदन पत्र सर्वथा गलत पेश किया है। वादी ने पूर्व में भी इसी आशय के आवेदन दिनांक 08—09—06 आदि पेश किये जो खरीज 14—08—07 व 21—10—10 हुए जो अंतिम हो चुके है। उन आदेशों की कोई अपील निगरानी जेर तजवीज नहीं है। रेस्पोडेंट ने आदेश होने व प्रार्थना

Scanned with CamScanner

पत्र खारीज होने के बाद बार–बार आवेदन आधारहीन व न्यायालय समय बर्बाद करने की नियत से पेश किया है जो भारी कोस्ट आरोपित कर खारीज योग्य है। जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत है कि वादी का आवेदन खारिज फरमाया जावे भारी व्यय दिलवाया जावे।

3. बहस प्रार्थना–पत्र उभयपक्ष की सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक वादी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रशासन गांवों के संग अभियान में भूमिहीन वादी को वादग्रस्त भूमि एलोट हुई। कैंप के दरमियान सैटलमेंट चल रहा था। अतः राजस्व रेकर्ड जोधपुर गया हुआ था इस कारण से राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं हुआ। वादी ने वाद अमल दरामद करने हेतु प्रस्तुत किया है। एलोटमेंट से संबन्धित दस्तावेज प्रस्तुत किये उन्हें रेकर्ड पर लेना आवश्यक है। पूर्व में जमीन सिवायचक थी। यह बताना कि किसी अन्य की खातेदारी नहीं थी। भूमि 57 व्यक्तियों को एलोट हुई उसकी पूरी सूचि प्रस्तुत की है जिसमें वादी का नाम, आंवटन पत्र, सनद, सनद शुल्क रसीद, खसरा परिवर्तनशील में प्रार्थी का नाम दर्ज की नकलें पेश की है। चूंकि रेकर्ड सेटलमेंट में चला गया था। अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट की नकल। वादी ने अपने वाद के समर्थन में आरआरडी 2008 पेज 351 की नजीर प्रस्तुत कर प्रार्थन–पत्र को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. विद्वान अभिभाषक प्रतिवादी ने बहस का जवाब देते हुए निवेदन किया कि प्रार्थना आदेश 7 नियम 14 का है। आदेश 11 नियम 2 सी.पी.सी. के प्रोविजन के तहत मूल दावा के साथ दस्तावेज प्रस्तुत करता परन्तु अब दिया। आदेश 7 नियम 14 सी.पी.सी. के तहत जिस आधार पर दावा वो सूचि के साथ प्रस्तुत करते परन्तु कोई दस्तावेज उनके कब्जे में नहीं थे वे देना जरूरी होते है तथा रिकार्ड पर लिये जा सकते है। प्रार्थना–पत्र में ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया गया है। जमाबंदी में गौचर दर्ज है। सभी कार्यवाही की जो खारिज हो गई फिर मारवाड़ जंक्शन में प्रार्थना–पत्र पेश किया फिर खारिज हो गया अब मुकद्दमा यहां पर ट्रांस्फर होने से यहां प्रार्थना–पत्र पेश किया है। पूर्व में खारिज हुए प्रार्थना–पत्रों का कोई रिवीजन या अपील नहीं की गई है। वादी के रिकॉर्ड वाद में आवश्यक थे पेश करने थे परन्तु उस समय पेश नहीं करने का कारण प्रार्थना–पत्र में नहीं बताया गया है। वाद के साथ प्रस्तुत दस्तावेज सूची में यदि लिखे हुए दस्तावेज पेश करे तो कोई बात नहीं परन्तु बाद में पेश करने का कोई प्रावधान नहीं है। पूर्व के दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियां भ्रमित करने के लिए पेश की पूर्व में खारिज हो चुकी है। भूमि गौचर है। प्रार्थना–पत्र को खारिज फरमाया जावे।

6. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने बहस का प्रत्युत्तर देते हुए निवेदन किया कि मकान बना हुआ तो भी खारिज किया। उस समय सिर्फ मकान की फोटो प्रस्तुत करने हेतु प्रार्थना पत्र दिया। सेटलमेंट के समया गौचर में लेकिन दावे में डिसाईड होगा। एलोटमेंट संबन्धित दस्तावेज है अतः न्यायहित में रेकर्ड पर लेने का आदेश फरमाया जावे।

7. बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा यह वाद धारा 88, 92ए आर.टी. एक्ट सपठित धारा 136 आर.एल.आर. एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया है तथा भूमि आंवटन को आधार बना कर प्रस्तुत किया गया है। आदेश 7 नियम 14 के प्रावधान इस प्रकार से है--

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

14. उन दस्तावेजों की प्रस्तुति जिन पर वादी वाद लाता है या निर्भर करता है– (1) जहां वादी किसी दस्तावेज के आधार पर वाद लाता है या अपने दावे के समर्थन में अपने कब्जे या शक्ति में की दस्तावेज पर निर्भर करता है वहां वह उन दस्तावेजों को सूची में प्रविष्ट करेगा

Scanned with CamScanner

और उसके द्वारा वाद पत्र उपस्थित किये जाने के समय उसे न्यायालय में पेश करेगा और उसी समय दस्तावेज और उसकी प्रति को वाद पत्र के साथ फाईल किए जाने के लिए प्रदत्त करेगा।

(2) जहां ऐसी कोई दस्तावेज वादी के कब्जे या शक्ति में नहीं है वहां जब संभव हो वह यह कथन करेगा कि वह किसके कब्जे या शक्ति में है।

(3) ऐसा दस्तावेज जिसे वादी द्वारा न्यायालय में तब प्रस्तुत किया जाना चाहिए जब वादपत्र प्रस्तुत किया जाता है, या वाद पत्र में जोड़ी जाने वाली या उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट किया जाना है, किंतु तदनुसार प्रस्तुत या प्रविष्ट नहीं किया जाता है तो उसे न्यायालय की अनुमति के बिना वाद की सुनवाई के समय उसकी ओर से साक्ष्य में ग्रहण नहीं किया जाएगा।

(4) इस नियम की कोई बात वादी के साक्षी की प्रतिपरीक्षा के लिये प्रस्तुत या किसी साक्षी को केवल उसकी स्मृति को ताजा करने के लिए दिए गए दस्तावेज को लागू नहीं होगी।

8. वादी द्वारा प्रस्तुत नजीरों का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया गया। **2008(2) डीएनजे (राज0) पेज 851** की नजीर इस प्रकार से है– सिविल प्रकिया संहिता, 1908 – आदेश 7 नियम 14(3)– का विस्तार – पहले जब केवल दस्तावेजों के फोटो प्रतिलिपियां पेश की गयी तो विचारण न्यायालय ने वादी के आवेदन को अस्वीकार कर दिया लेकिन बाद में वादी उन दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त करने में सक्षम हुआ जिसमें से ज्यादातन लोक दस्तावेज थे–निर्णित, विचारण न्यायालय ने वादी के द्वारा आदेश 7 नियम 14(3) के अंतर्गत दायर आवेदन को स्वीकार कर सही किया। **2011 (1) आरआरटी 397** की नजीर इस प्रकार से है– सिविल प्रकिया संहिता, 1908–आदेश 7 नियम 14(3) – रेकॉर्ड पर कुछ दस्तावेज पेश करने हेतु आवेदन पेश किया–आवेदन खारिज किया–न्यायालय की अनुमति से वाद के किसी भी प्रकम पर दस्तावेज रेकॉर्ड पर लिये जा सकते है–पूर्व के प्रकम पर दस्तावेज पेश न करने हेतु युक्तियुक्त स्पष्टीकरण नहीं दिया–निर्णित, आदेश में क्षेत्राधिकार की त्रुटि नहीं है।

9. उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद के सही निर्णय करने हेतु वादी का प्रार्थना–पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 14 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. को स्वीकार किया जाकर दस्तावेज को रेकर्ड पर लिये जाने की अनुमति दी जाती है।

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

यह आदेश आज दिनांक 05/06/2012 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर वाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

Scanned with CamScanner